जनसंपर्क कार्यालय : एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

समाचार

पेंशनरों को 132 प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश जारी

जबलपुर, 10 मार्च। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से 1 जून 2005 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनरों को जिन्हें वर्तमान में 125 प्रतिशत महंगाई राहत देय थी, में 7 प्रतिशत की वृद्धि कर 1 दिसंबर 2016 से 132 प्रतिशत महंगाई राहत देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। उक्ताशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। माह जुलाई 2016 से माह नवंबर 2016 तक की देय महंगाई राहत की देय राशि का भुगतान राज्य शासन के परिपत्र के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जाएगा, जिसके संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।

बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि का भुगतान माह मार्च 2017 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 की अवधि की देय राशि का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में मार्च 2017, अप्रैल 2017 एवं मई 2017 की देय पेंशन के साथ किया जाएगा।

समाचार क्रमांक : 106/2016

(राकेश पाठक)
वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी